

जनपद – संतकबीरनगर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 13.11.2023

आज दिनांक 13.11.2023 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर ***श्री अखिल कुमार*** पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती ***श्री आर0के0 भारद्वाज*** के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य—

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 3302 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल 04 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल— पीआरवी 3302 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत कुर्थिया से इवेन्ट संख्या 05856 से कालर द्वारा मार्ग दुर्घटना में 04 व्यक्तियों (**1- अनिता पत्नी शिवमिल 2- सोनाली पुत्र शिवमिल निवासी असरफपुर 3- आलोक त्रिपाठी पुत्र इन्द्रपति 4- नीरज त्रिपाठी पुत्र मुन्नू त्रिपाठी निवासीगण कांटे थाना कोतवाली खलीलाबाद**) के घायल होने के संबंध में सूचना दिया गया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर समय से पहुंचकर घायल व्यक्तियों को एंबुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल भेजवाया गया साथ ही घटना के सम्बन्ध में थाना को0 खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर घायल व्यक्तियों को अस्पताल भेजवाकर उसकी जान बचाई गई, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ—मु0आ0 मेवालाल, आ0 रोहित पाण्डेय, आ0चा0 अम्बरीश यादव।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) में 15 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी में 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना दुधारा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी में 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना महुली पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी में 05 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना मेहंदावल पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी में 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना बखिरा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी में 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी में 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 28 वाहनों से 23,000 रु0 सम्मन शुल्क का चालान किया गया

आज दिनांक 13.11.2023 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 28 वाहनों से 23,000 रु0 सम्मन शुल्क का चालान किया।